भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2785
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन दिशानिर्देश

2785. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित संचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि अर्थात बीमा कंपनियों को राज्य सरकार से अंतिम उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त होने और फसल क्षति सर्वेक्षण पूरा होने की तिथि, से बाद की अवधि हेतु किसानों को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीमा कंपनियों ने संशोधित संचालन दिशानिर्देश जारी किए जाने के पश्चात् निर्धारित समय में सभी दावों का निपटान कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित संचालन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के पश्चात् बीमा कंपनियों द्वारा दावों के विलंब से निपटान हेतु भुगतान किए गए दंडात्मक ब्याज की मात्रा का राज्यवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी कंपनियों द्वारा दण्डात्मक ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क): जी हाँ।

(ख) से (घ): बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल हानि का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दावों के भुगतान से संबंधित सभी डेटा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध थे, इसलिए उन्हें स्वयं ही बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने की सलाह दी गई थी। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में प्रत्येक स्टेकहोल्डर्स की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। हालांकि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बैंकों

द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत तरीके से/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न किए जाने, विलंब से भुगतान किए जाने या कम भुगतान किए जाने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की धनराशि प्रदान करने में विलंब, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न किए जाने आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित तरीके से समाधान किया गया।

दावा संवितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। यह मॉड्यूल भारत सरकार को देय दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों की जानकारी देता है। इसका उपयोग दावों की निगरानी के लिए किया जाता है, जो पहले संभव नहीं था। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी.) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि सभी दावों को समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रोसेस किया जा सके। खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो एन.सी.आई.पी. के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वचालित रूप से गणना करके लगाया जाएगा। एन.सी.आई.पी. पर स्वचालित गणना वाले जुर्माने के कार्यान्वयन का यह पहला सीजन है और विभाग इसके प्रवर्तन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

******